क्रम-संख्या–161(ख)

रजिस्टर्ड नं0 एल0 डब्ल्यू/एन0पी0 561
लाइसेन्स नं0 डब्ल्यू0 पी0-41
(लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेंट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग–4, खण्ड (ख)
(परिनियत आदेश)

प्रयागराज, शुक्रवार 25 अगस्त, 2022 ई0
(भाद्रपद 3, 1944 शक संवत्)

उत्तर प्रदेश शासन
आवास एवं शहरी नियोजन विभाग
अनुभाग–2
[नियम-27 का उपनियम (1)]
समुचित सरकार/कलेक्टर द्वारा घोषणा
(अधिनियम की धारा-19 की उपधारा (1) के अन्तर्गत)
अधिसूचना संख्या 495/आठ/अ0जि0अ0/भू0अ0/सं0सं0/गाजियाबाद
दिनांक 01 अगस्त, 2022 ई0

अधिसूचना

प0आ0–390

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम के द्वारा अपेक्षित सार्वजनिक प्रयोजन यथा दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ आर0 आर0 टी0 एस0 परियोजना हेतु जिला गाजियाबाद तहसील गाजियाबाद परगना लोनी व जलालाबाद ग्राम बोहन्जा, ढरगल व दुहाई में स्थित 3.1413 हेक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के अन्तर्गत प्रारम्भिक अधिसूचना संख्या-18/आठ-अ0जि0अ0/भू0अ0/सं0सं0/गा0बाद दिनांक 08 अप्रैल 2022 को निर्गत की गई थी तथा अन्तिम रूप से प्रकाशित दिनांक 15-04-2022 को प्रकाशित की गयी थी। डिप्टी कलेक्टर/असिस्टेंट कलेक्टर, गाजियाबाद को परियोजना प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के उद्देश्य से प्रशासक नियुक्त किया गया था।

अधिनियम की धारा-15 की उपधारा (2) के प्राविधानों के अनुपालन में कलेक्टर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के विचारोपरान्त धारा-19(1) के अन्तर्गत राज्यपाल घोषणा करने का निदेश देते हैं कि उन्हें यह समाधान हो गया हैं कि अनुसूची ''क'' में वर्णित भूमि का क्षेत्रफल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आवश्यक हैं।

राज्यपाल अग्रेतर निदेश देते हैं कि अधिनियम की धारा-19 की उपधारा-(2) के अधीन इस प्रभाव की घोषणा के प्रकाशन के साथ पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन योजना के सारांश के प्रकाशन हेतु गाजियाबाद कलेक्टर को निर्देशित करते हैं। पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना का सारांश इसके साथ संलग्न हैं।

अनुसूची–क
(प्रस्तावित अर्जन के अन्तर्गत भूमि)

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6
					हेक्टेयर
गाजियाबाद	गाजियाबाद	लोनी	बोहन्जा	60	0.0606
				67	0.0311
				95	0.0506
				96	0.0164
		जलालाबाद	ढरगल	325	0.1384
				326	0.3670
				327	0.2150
				328	0.1916
		जलालाबाद	दुहाई	315	0.1315
				316	0.4100
				332	0.2830
				404	0.3955
				405	0.1217
				438	0.0299
				439	0.2114
				445	0.3145

अनुसूची-ख
(विस्थापित परिवारों के लिये व्यवस्थापन क्षेत्र के रूप में चिन्हित भूमि)

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भूखण्ड संख्या	पुनर्वासन हेतु चिन्हित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5	6

.....लागू नहीं .....

टिप्पणी–उक्त भूमि का स्थल नक्शा गाजियाबाद के कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता हैं।

आज्ञा से,
नितिन रमेश गोकर्ण,
प्रमुख सचिव।

कलेक्टर द्वारा घोषणा की अधिसूचना
[अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (2) के अन्तर्गत]

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम के माध्यम से सार्वजनिक प्रयोजन की दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ आर0आर0टी0एस0 परियोजना हेतु जिला गाजियाबाद, तहसील गाजियाबाद, परगना लोनी व जलालाबाद ग्राम बोहन्जा, ढरगल व दुहाई में स्थित 2.9682 हेक्टेयर भूमि के लिये प्रकाशित अधिसूचना संख्या 18/आठ–अ0जि0अ0(भू0अ0)/सं0सं0/गाजियाबाद दिंनाक 08 अप्रैल 2022 के क्रम में मेरे द्वारा घोषणा का प्रकाशन कर दिया गया है तथा सरकारी अधिसूचना के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना का सारांश संलग्न कर दिया गया है। पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना का सारांश निम्नवत् है–

दिल्ली–गाजियाबाद–मेरठ आर0 आर0 टी0 एस0 कॉरीडोर के निर्माण उपरान्त क्षेत्र में आर्थिक प्रगति के साथ क्षेत्रीय निवासियों को रोजगार के नये अवसर प्राप्त होगे। राष्ट्रीय राजधानी एंव अन्य प्रयुक्त शहरी बिन्दुओं के बीच सड़कों पर वाहनों में कमी के कारण सम्पूर्ण वातावरण में प्रदूषण की व्यापक कमी होगी।

उक्त परियोजना हेतु ग्राम बोहन्जा, ढरगल व दुहाई तहसील व जनपद गाजियाबाद में 2.9682 हेक्टेयर भूमि के अधिग्रहण के कारण लगभग 71 परिवारों के प्रभावित होने की सम्भावना है। परियोजना से प्रभावित परिवारों के सम्बन्ध में पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना तैयार की गई है जिसका सारांश निम्न प्रकार हैः–

- भूमि एंव उस पर स्थित संरचनाओं हेतु प्रतिफल की गणना भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की सुसंगत धाराओं एंव अनुसूची-1 के क्रम में किया जायेगा।
- पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन लाभों की गणना अधिनियम 2013 की अनुसूची–2 के अनुसार की जायेगी।
- प्रत्येक प्रभावित कुटुम्ब को पॉच लाख रूपये की एक मुश्त धनराशि वार्षिकी या नियोजन के विकल्प के रूप में प्रदान की जायेगी।
- प्रत्येक प्रभावित कुटुम्ब को पचास हजार रूपये की एक मुश्त धनराशि पुनर्वास भत्ते के रूप में प्रदान की जायेगी।
- प्रत्येक विस्थापित परिवार को 12 माह की अवधि तक तीन हजार रूपये प्रतिमाह की दर से निर्वाह अनुदान प्रदान किया जायेगा।
- प्रत्येक विस्थापित परिवार को पचास हजार रूपये की एक मुश्त धनराशि परिवहन व्यय के रूप में प्रदान की जायेगी।

उपरोक्त पुनर्वास एंव पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का क्रियान्वयन 18 माह की अवधि में करा लिया जायेगा।

उक्त भूमि का स्थल नक्शा कलेक्टर के कार्यालय में भूमि अर्जन के उद्देश्य से देखा जा सकता है।

आज्ञा से,
नितिन रमेश गोकर्ण,
प्रमुख सचिव।

[Sub-rule (1) of Rule-27]

Declaration by Appropriate Government/Collector

[Under Sub-section (1) of Section 19 of the Act]

GOVERNMENT OF UTTAR PRADESH

HOUSING AND URBAN PLANNING DEPARTMENT

Notification No. 495/VIII-A.Ji.A.(Bhu.A.)/San. San./Ghaziabad

Dated : *August* 01, 2022

NOTIFICATION

Whereas preliminary notification no. 18/VIII-A.Ji.A.(Bhu.A.)/San.San./Ghaziabad dated 08 April 2022 was issued under sub-section (1) of section 11 of Right to Fair Compensation and Transparency in Rehabilitation and Resettlement Act, 2013, in respect of 3.1413 hectares of land in village Bohanja, Dhargal & Duhai, Pargana Loni and Jalalabad Tehsil Ghaziabad, District Ghaziabad is required for public purpose, namely Delhi-Ghaziabad-Meerut RRTS Corridor project through National Capital Region Transport Corporation and lastly published on dated 15 April 2022. The Deputy Collector / Assistant Collector Ghaziabad was appointed as Administrator for the purpose of rehabilitation and resettlement of the project affected families.

2. After considering the report of the collector submitted in pursuance to the provision under sub-section (2) of the section 15 of the Act, the Governor is pleased to declare under section 19 (1) of the Act that he is satisfied that the area of the land mentioned in the given schedule "A" is needed for the public purpose

3. The Governor is further pleased under sub-section (2) of section 19 of the Act, to direct the Collector of District Ghaziabad to publish a summary of the Rehabilitation and Resettlement Scheme with publication of the declaration to this effect. The summary of Rehabilitation and Resettlement Scheme is attached herewith.

SCHEDULE-A
(Land under proposed Acquisition)

District	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area
1	2	3	4	5	6
					Hectares
Ghaziabad	Ghaziabad	Loni	Bohanja	60	0.0606
				67	0.0311
				95	0.0506
				96	0.0164
		Jalalabad	Dhargal	325	0.1384
				326	0.3670
				327	0.2150
				328	0.1916
		Jalalabad	Duhai	315	0.1315
				316	0.4100
				332	0.2830
				404	0.3955
				405	0.1217
				438	0.0299
				439	0.2114
				445	0.3145

SCHEDULE-B
(Land identified as settlement Area for Displaced families)

District	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area Earmarked for Rehabilitation
1	2	3	4	5	6
Not Applicable					

Note-A plan of land may be inspected in the Office of the collector for the purpose of acquisition.

By Order,
NITIN RAMESH GOKARAN,
Principal Secretary.

NOTIFICATION OF DECLARTION BY COLLECTOR
[Under Sub-section (2) of Section 19 of the Act]

By the order of declaration made under Government notification No. 18/VIII-A.Ji.A. (Bhu.A.) /San.San./Ghaziabad dated 08 April 2022, 2.9682 hectares of land in Village Bohanja, Dhargal & Duhai, Pargana Loni and Jalalabad, Tehsil Ghaziabad, District Ghaziabad is required for public purpose, namely Delhi-Ghaziabad-Meerut RRTS Corridor project through National Capital Region Transport Corporation, I hereby published the declaration made therein summary of Rehabilitation and Resettlement Scheme along with Government notification , a summary of the Rehabilitation and Resettlement Scheme is given below:

Delhi-Ghaziabad-Meerut RRTS Corridor would bring economic growth in the region and employment opportunities to the inhabitants would enhance. Also the traffic congestion between the National Capital and nodal cities would reduce to improve the overall environment of the area.

For the said project, 2.9682 hectares land is proposed to be acquired in village Bohanja, Dhargal and Duhai,Tehsil and District Ghaziabad in which around 71 families are expected to be affected because of the acquisition. For the project affected families, R&R draft scheme has been prepared. The salient features of the Resettlement and Rehabilitation scheme are as follows:

- The compensation for land and assets attached with it would be evaluated and distributed as per schedule-1 and other provisions laid down under RFCTLARR Act 2013.
- The Rehabilitation and Resettlement assistance would be paid as per the provisions of schedule-2 of the RFCTLARR Act 2013.
- One time payment of Rs.5,00,000/- in lieu of Job/annuity to each affected family .
- One time resettlement allowance of Rs.50,000/- to each affected family.
- Subsistence grant of Rs.3000/- per month for a period of 12 months to all displaced families.
- One time transportation allowance @ Rs.50000/- per displaced family.

The implementation of the Rehabilitation and Resettlement Scheme will be completed within 18 months.

The plan for the land may be inspected in the office of the collector for the purpose of land Acquisition.

By Order,
NITIN RAMESH GOKARAN,
Principal Secretary.

पी0एस0यू0पी0—18 असाधारण गज़ट—25-8-2022—152 प्रतियां (डी0टी0पी0 / आफसेट)।